

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 25]
No. 25]दिल्ली, जून 24—जून 30, 2011, बुधस्पतिवार/आषाढ़ 3—आषाढ़ 9, 1933
DELHI, JUNE 24—JUNE 30, 2011, THURSDAY/ASADHA 3—ASADHA 9, 1933[रा.रा.क्षे.दि. सं. 78, 80]
[N.C.T.D. No. 78, 80]भाग—IV
PART—IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह सामान्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 जून, 2011

सं. फा./4/4/2003/गृह (सामान्य)/2533.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू-11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री धर्मेन्द्र, आई. ए. एस. एवं श्रीमती नन्दीनी पालीवाल आई. ए. एस., सचिव (राजस्व) एवं प्रभाग आयुक्त और उपायुक्त (दक्षिण) क्रमशः को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं. फा./4/4/2003/गृह (सामान्य)/2533.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू-11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973

2422 DG/2011

(1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री धर्मेन्द्र, आई. ए. एस. एवं श्रीमती नन्दीनी पालीवाल आई. ए. एस., सचिव (राजस्व) एवं प्रभाग आयुक्त और उपायुक्त (दक्षिण) क्रमशः कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. एम. जैन, उप-सचिव

HOME(GENERAL)DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th June, 2011

No. F. 4/4/2003-HOME(G)/2533.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the

Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Dharmendra, IAS and Mrs. Nandini Paliwal, IAS, presently working as Secretary (Revenue)/ Divisional Commissioner and Deputy Commissioner (South) respectively to be Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

No. F. 4/4/2003-HOME(G)/2533.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Dharmendra, IAS and Mrs. Nandini Paliwal, IAS, presently working as Secretary (Revenue)/ Divisional Commissioner and Deputy Commissioner (South) respectively Executive Magistrate to be the District Magistrate and Additional District Magistrate, Delhi respectively till such time they hold the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. M. JAIN, Dy. Secy.

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 28 जून, 2011

सं. फा. 10 (1935)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13914.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रोफाइन इण्डिया विन्डो टेक्नोलॉजी प्रा. लि. 205, जैन भवन, 18/12, डब्ल्यू इ ए करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 500000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 28th June, 2011

F. No. 10(1935)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13914.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue

Authority, Delhi hereby directs that M/s. Profine India Window Technology Pvt. Ltd., 205, Jain Bhawan, 18/12, WEA Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5000/- (Rs. Five thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 50,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 001 to 500000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1931)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13919.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पर्पल यूएमटीसी ट्रांजिट प्रा. लि., 405, चौथी मंजिल, रोहित हाऊस, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,24,80,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 400001 से 513460 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,481 (रुपये बारह हजार चार सौ इक्क्यासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1931)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13919.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purple UMTC Transit Pvt. Ltd., 405, 4th Floor, Rohit House, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,481/- (Rs. Twelve thousand four hundred eighty one) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,24,80,600/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 400001 to 513460 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1932)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13920.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पर्पल यूएमटीसी ट्रांजिट प्रा. लि., 405, चौथी मंजिल, रोहित हाऊस, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 15,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 250001 से 400000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1500/- (रुपये एक हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1932)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13920.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January,

2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purple UMTC Transit Pvt. Ltd., 405, 4th Floor, Rohit House, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1500 (Rs. One thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 250001 to 400000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1930)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13921.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पर्पल यूएमटीसी ट्रांजिट प्रा. लि., 405, चौथी मंजिल, रोहित हाऊस, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,19,19,400 मूल्य के 0% ऑपनली कनवर्टिबल रिडिमेबल डिबेन्चर्स है जिनकी पृथक संख्या 001 से 2,19,194 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 54,799 (रुपये चवन हजार सात सौ निन्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1930)/COS(HQ)/Cons. Duty/13921.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Purple UMTC Transit Pvt. Ltd., 405, 4th Floor, Rohit House, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 54,799 (Rs. fifty four thousand seven hundred ninety nine) only on the aggregate value of debentures of ₹ 2,19,19,400 for issue of 0% Optionally Convertible, Redeemable debentures bearing distinctive No. 001 to 2,19,194 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1929)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13930.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रोहटो फार्मा (इण्डिया) प्रा. लि., टी-15, साल्कन रास विलास, डी-1, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,99,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 999900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 99,990 (रुपये निन्यानवे हजार नौ सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1929)/COS(HQ)/Cons. Duty/13930.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rohto Pharma (India) Pvt. Ltd., T-15, Salcon Ras Vilas, D-1, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 99990 (Rs. Ninety nine thousand nine hundred ninety) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,99,90,000 for equity Share certificate with distinctive Nos. 1 to 999900 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1934)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13932.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सोलर वर्क एनर्टिक प्रा. लि., 20, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1934)/COS(HQ)/Cons. Duty/13932.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Solar Work Enertec Pvt. Ltd., 20, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity Share certificate with distinctive Nos. 001 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1933)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13933.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीवी एनर्जी प्रा. लि., ए-102, मेफेयर अपार्टमेंट, आइपी एक्सटेंशन, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1933)/COS(HQ)/Cons. Duty/13933.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of

Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PV Energy Pvt. Ltd., A-102, Mayfair Apptt., IP Extn., Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity Share certificate with distinctive Nos. 001 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1936)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13934.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बत्रा फिन कैप लि., ई-42/3, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 89,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 29,90,001 से 38,87,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 8,970 (रुपये आठ हजार नौ सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1936)/COS(HQ)/Cons. Duty/13934.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Batra Fin Cap Ltd., E-42/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 8,970 (Rs. Eight thousand nine hundred seventy) only on the aggregate value of shares of ₹ 89,70,000 for equity Share certificate with distinctive Nos. 2990001 to 3887000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 29 जून, 2011

सं. फा. 10 (1945)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13939.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एज्योर हौस्पिटैलिटी प्रा. लि., 16-ए, दूसरी मंजिल, एनैक्सी, ब्लॉक-एच, इन्द्रा प्लेस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 44,50,001 से 59,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 15,000 (रुपये पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 29th June, 2011

F. No. 10 (1945)/COS(HQ)/Cons. Duty/13939.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th

January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Azure Hospitality Pvt. Ltd., 16-A, IInd Floor, Annexe, Block-H, Indra Palace, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 15,000 (Rs. fifteen thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,50,00,000 for issue of equity Share bearing distinctive Nos. 44,50,001 to 59,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1947)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13943.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबस कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड डवलपर्स लि., सी-8, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,28,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4341595 से 8621595 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 42,800 (रुपये बेयालीस हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1947)/COS(HQ)/Cons. Duty/13943.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Globus Constructors & Developers Ltd., C-8, East of Kailash, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 42,800 (Rs. forty two thousand eight hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,28,00,000 for issue of equity Share bearing distinctive Nos. 4341595 to 8621595 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1914)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13945.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हीरो इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि., ई-2, कुतूब होटल कॉम्प्लेक्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,00,00,000 मूल्य के रेटेड, सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स है जिनकी पृथक संख्या 001 से 1,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1914)/COS(HQ)/Cons. Duty/13945.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority,

Delhi hereby directs that M/s. Hero Investments Pvt. Ltd., E-2, Qutab Hotel Complex, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 10,00,00,00,000 for issue of Rated Secured Redeemable Non-Convertible debentures bearing distinctive No. 001 to 1000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1949)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13946.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 61,33,00,000 मूल्य के बॉण्ड जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में है और जिनकी पृथक संख्या 2011007900 से 2011014032 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,72,900 (रुपये पाँच लाख बहत्तर हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1949)/COS(HQ)/Cons. Duty/13946.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,72,900 (Rupees five lakh seventy two thousand nine hundred) only on the aggregate value of bonds of ₹ 61,33,00,000 for issue of bonds in the nature of promissory note bearing distinctive Nos. 2011007900 to 2011014032 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1941)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13947.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीएसएस तकारा बायो (इण्डिया) प्रा. लि., ए-5, मोहन कॉर्पोरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरा रोड, अपोजिट सरिता विहार, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 4500000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 45,000 (रुपये पैंतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1941)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13947.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th

January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DSS Takara Bio (India) Pvt. Ltd., A-5, Mohan Coop. Industrial Estate, Mathura Road, Opp. Sarita Vihar, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 45,000 (Rs. forty five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,50,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 0000001 to 4500000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1878)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13948.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) उप-धारा के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनक्लेयर नाइट मर्ज कन्सल्टिंग (इण्डिया) प्रा. लि., ऑफिस नं. 602-605, छठी मंजिल, "डी मॉल" नेताजी सुभाष प्लेस, पितम्पुरा, दिल्ली-110034 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 15,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 47,08,960 से 1,97,08,959 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1878)/COS(HQ)/Cons. Duty/13948.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sinclair Kinght Merz Consulting (India) Pvt. Ltd., Office No. 602-605, 6th Floor, "D Mall", Netaji Subhas Place, Pitampura, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,50,000 (Rs. one lakh fifty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 15,00,00,000 for issue of equity Shares bearing distinctive Nos. 47,08,960 to 1,97,08,959 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1918)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13949.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बहादुर चन्द इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि., ई-2, कुतूब होटल कॉम्प्लेक्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,50,00,00,000 मूल्य के रेटेड, सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टिबल, डिबेन्चर्स है जिनकी पृथक संख्या 001 से 150 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1918)/COS(HQ)/Cons. Duty/13949.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bahadur Chand Investments Pvt. Ltd., E-2, Qutab Hotel Complex, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rs. twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 1,50,00,00,000 for issue of Rated Secured Redeemable Non-Convertible debentures bearing distinctive Nos. 001 to 150 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1950)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13950.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिटीएक्सिज टेक्नोलॉजीज लि., ए-24/5, मोहन कॉर्पोरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड एनएच-2, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,77,15,310 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11543062 से 17314592 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 57,716 (रुपये सत्तावन हजार सात सौ सोलह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1950)/COS(HQ)/Cons. Duty/13950.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Citixsys Technologies Ltd., A-24/5, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road NH-2, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 57,716 (Rs. fifty seven thousand seven hundred sixteen) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,77,15,310 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 11543062 to 17314592 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1953)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13951.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरस लि., 616-ए, (16ए, छठी मंजिल), देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,70,00,00,000 मूल्य के इक्विटी एवम् प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या इक्विटी शेयरों के लिए 3060001 से 4260000 है और प्रिफरेंस शेयरों के लिए RP 01 से RP 1500000 है, पर लगने वाले

मुद्रांक शुल्क ₹ 27,00,000 (रुपये सत्ताइस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1953)/COS(HQ)/Cons. Duty/13951.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moser Baer Power and Infrastructures Ltd., 616-A, (16 A, Sixth Floor), Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 27,00,000 (Rs. twenty seven lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,70,00,00,000 for issue of preference and equity shares bearing distinctive Nos. RP 01 to RP 1500000 for preference shares and 3060001 to 4260000 for equity shares to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1955)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13952.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बिग शू बाजार इण्डिया प्रा. लि., एलजीएफ, 8, बालाजी इस्टेट, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 40,00,00,014 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 4834 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,00,001 (रुपये चार लाख एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1955)/COS(HQ)/Cons. Duty/13952.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Big Shoe Bazaar India Pvt. Ltd., LGF, 8, Balaji Estate, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,00,001 (Rs. four lakh one) only on the aggregate value of shares of ₹ 40,00,00,014 for preference share certificates with distinctive Nos. 1 to 4834 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1952)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13953.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लि., 306, लूसा टावर, आजादपुर कर्माशियल कॉम्प्लेक्स,

दिल्ली-110033 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 37,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18294828 से 18444827 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,750 (रुपये तीन हजार सात सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1952)/COS(HQ)/Cons. Duty/13953.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Satin Credit Care Network Ltd., 306, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi-110033 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3750 (Rs. three thousand seven hundred fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 37,50,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 18294828 to 18444827 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1917)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13954.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बहादुर चन्द इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि., ई-2, कुतुब होटल कॉम्प्लेक्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,50,00,00,000 मूल्य के रेटेड, सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स हैं जिनकी पृथक संख्या 001 से 350 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1917)/COS(HQ)/Cons. Duty/13954.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bahadur Chand Investments Pvt. Ltd., E-2, Qutab Hotel Complex, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rs. twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 3,50,00,00,000 for issue of Rated Secured Redeemable Non-Convertible debentures bearing distinctive No. 001 to 350 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1915)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13955.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हीरो इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि., ई-2, कुतुब होटल कॉम्प्लेक्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,00,00,000 मूल्य के रेटेड, सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स हैं जिनकी पृथक संख्या 001 से 900 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1915)/COS(HQ)/Cons. Duty/13955.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hero Investments Pvt. Ltd., E-2, Qutab Hotel Complex, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rs. twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 9,00,00,00,000 for issue of Rated Secured Redeemable Non-Convertible debentures bearing distinctive No. 001 to 900 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1916)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13956.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हीरो इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि., ई-2, कुतुब होटल कॉम्प्लेक्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,00,00,000 मूल्य के रेटेड, सेक्योर्ड रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स हैं जिनकी पृथक संख्या 001 से 1,000 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1916)/COS(HQ)/Cons. Duty/13956.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hero Investments Pvt. Ltd., E-2, Qutab Hotel Complex, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rs. twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 10,00,00,00,000 for issue of Rated Secured Redeemable Non-Convertible debentures bearing distinctive No. 001 to 1,000 to be issued by the company.

सं. फा.10 (1887)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13957.—मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक

24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रामप्रस्था रीयल्टी प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10,000 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1887)/COS(HQ)/Cons. Duty/13957.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ramprastha Realty Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 00001 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1939)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13958.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री साइबर क्यू कन्सल्टिंग प्रा. लि., जे-1917, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,95,150 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,81,051 से 2,28,856 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,196 (रुपये एक हजार एक सौ छियानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1939)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13958.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cyber Q Consulting Pvt. Ltd., J-1917, Chitranjan Park, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,196 (Rs. one thousand one hundred ninety six) only on the aggregate value of shares of ₹ 11,95,150 for equity Shares certificates with distinctive Nos. 181051 to 228856 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1942)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/13959.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सी एल एडुकेट लि., आर-90, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,55,55,000 मूल्य के इक्विटी एवम् प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 08749004 से 08751103 और 0686246 से 1211245 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,05,555 (रुपये एक लाख पाँच हजार पाँच सौ पचपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1942)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13959.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. C. L. Educate Ltd., R-90, First Floor, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,05,555 (Rs. One lakh five thousand five hundred fifty five) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,55,55,000 for equity Shares certificates distinctive Nos. 08749004 to 08751103 and for preference share certificates with distinctive Nos. 0686246 to 1211245 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1943)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13960.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रॉकमैन ब्रेवरीज़ लि., के-15, हाँज खास, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,62,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2500001 से 4125000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 16,250 (रुपये सोलह हजार दो सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1943)/COS(HQ)/Cons. Duty/13960.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rockman Breweries Limited, K-15, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 16,250 (Rs. sixteen thousand two hundred fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,62,50,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 2500001 to 4125000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1951)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./13961.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899

(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शेयरवाले कोमोडिटीज प्रा. लि., प्लॉट नं.-7, 201-202, वर्द्धमान प्लाजा, गूजरवाला टारुन, दिल्ली-110009 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20001 से 120000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,000 (रुपये एक हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1951)/COS(HQ)/Cons. Duty/13961.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharewale Commodities Pvt. Ltd., Plot No. 7, 201-202, Vardhman Plaza, Gujra Wala Town, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1000 (Rs. one thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 20001 to 120000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1954)/मु. स. (मुख्या)/स.श./13962.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ब्लू बेल प्रोप्टेक प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 94,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 010001 से 104000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,400 (रुपये नौ हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1954)/COS(HQ)/Cons. Duty/13962.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Blue Bell Proptech Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,400 (Rs. nine thousand four hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 94,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 010001 to 104000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1885)/मु. स. (मुख्या)/स.श./13963.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रॉकमैन ब्रेवरीज लि., के-15, हौज खास, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 56,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 250001 से 810000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5600 (रुपये पाँच हजार छः सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1885)/COS(HQ)/Cons. Duty/13963.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rockman Breweries Limited, K-15, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5600 (Rs. Five thousand six hundred) only on the aggregate value of share of ₹ 56,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 250001 to 810000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1940)/मु. स. (मुख्या)/स.श./13964.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेवेन्थ प्लेन नेटवर्क्स प्रा. लि., नं.-16, दूसरी मंजिल, सन्त नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,86,42,831 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,706 से 20,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 18,643 (रुपये अठ्ठारह हजार छः सौ तैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1940)/COS(HQ)/Cons. Duty/13964.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Seventh Plane Networks Pvt. Ltd., No.-16, Second Floor, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 18,643 (Rs. Eighteen thousand six hundred forty three) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,86,42,831 for equity shares certificates with distinctive Nos. 13706 to 20000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1937)/मु. स. (मुख्या)/स.श./13965.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सी एण्ड एस

ईएफएसीईसी एमवी इण्डिया प्रा. लि., 222, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,02,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 69,80,001 से 90,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,200 (रुपये बीस हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1937)/COS(HQ)/Cons. Duty/13965.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. C & S EFACEC MV India Pvt. Ltd., 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,200 (Rs. twenty thousand two hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,02,00,000 for issue of equity shares bearing with distinctive No. 69,80,001 to 90,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1938)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13966.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सी एण्ड एस ईएफएसीईसी एमवी इण्डिया प्रा. लि., 222, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 90,00,001 से 1,85,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 95,000 (रुपये पचचत्वार्यन्वे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1938)/COS(HQ)/Cons. Duty/13966.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. C & S EFACEC MV India Pvt. Ltd., 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 95,000 (Rs. Ninety five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,50,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 9000001 to 18500000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1946)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13967.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रामप्रस्थ कमर्शियलस प्रा. लि., सी-10, सी-ब्लॉक मार्केट, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1946)/COS(HQ)/Cons. Duty/13967.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ramprastha Commercials Pvt. Ltd., C-10, C-Block Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 00001 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1944)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./13969.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीसेम वर्कशॉप इनिशियेटिवस (इण्डिया) प्रा. लि., 4-ए, पाल मोहन भवन, 66ए/3, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1944)/COS(HQ)/Cons. Duty/13969.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sesame Workshop Initiatives (India) Pvt. Ltd., 4-A, Pal Mohan Bhawan, 66A/3, New Rohtak Road, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 0001 to 10000 to be issued by the said company.

By Order,

of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Spl. Inspector General (Registration)